सं॰ 9-1/2024 सतर्कता

भारतसरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
वनस्पति, संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
एन एच-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

दिनांक 01.01.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद के प्रशासनिक दायरे के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 (31.12.2023 तक) के लिए अचल संपत्ति विवरण(आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने के संबंध में।

केन्द्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा 31.01.2024 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फ़रीदाबाद के प्रशासनिक दायरे के अंतर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस अनुभाग को लिए अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के भीतर आईपीआर जमा न करने पर प्रतिनियुक्ति एवं संवेदनशील पदों पर तैनाती/ सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) के लिए सतर्कता निकासी से इंकार कर दिया जाएगा क्योंकि उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आईपीआर की स्थिति जाँच की जाएगी।

2. निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2023 (31.12.2023 तक) के लिए अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) समय पर यानी 31.01.2024 से पहले अवश्य जमा करें। यह भी सूचित किया जाता है कि आईपीआर दाखिल करने/जमा करने की तारीख 1 जनवरी, 2024 से प्रारम्भ है और 31 जनवरी, 2024 को समाप्त होगी। "कोई बदलाव नहीं", "कोई जोड़ नहीं" या "पिछले वर्ष की तरह" जैसे शब्दों का उपयोग रिपोर्ट में स्वीकार्य नहीं होगा।

3. यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) को भौतिक रूप में दाखिल करना इस वर्ष से निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया है। अतः निदेशालय के सामान्य सिविल सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक अचल संपत्ति विवरण(एआईपीआर) 31.01.2024 से पूर्व ई-एचआरएमएस(E-HRMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल करें।[Submit ⟶ Property ⟶ IPR ⟶ File your IPR]

4. इस निदेशालय के प्रशासनिक दायरे के अंतर्गत आने वाले सभी श्रेणीबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा(सीएसएसएस), केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग [केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) संवर्ग को छोड़कर] के अधिकारियों/कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि वे वर्ष 2023 (31.12.2023 तक) के लिए अपना अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) ई-एचआरएमएस(E-HRMS) पोर्टल/संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

5. सभी से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन जमा किए गए उक्त वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) का प्रिंट आउट लें और इसे अपने प्रभारी अधिकारी के माध्यम से इस अनुभाग में जमा करें, अन्यथा उपरोक्त पैरा 01 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए सतर्कता निकासी से इंकार कर दिया जाएगा।

मृणाल
01.01.2024
(मृणाल)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

(i) निदेशालय के जीसीएस/सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस/एसएसएस(सीएसओएलएस को छोड़कर) के सभी अधिकारी/कर्मचारी (निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से)
(ii) प्रभारी, आईटी सेल को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(iii) निदेशालय में ई-एचआरएमएस पोर्टल के सभी नोडल अधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय/उप कार्यालयों के सभी प्रभारी अधिकारियों को जीसीएस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर तुरंत शामिल करने के अनुरोध के साथ।
(iv) वनस्पति संरक्षण सलाहकार के निजी सचिव को सूचनार्थ।